न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 03.06.2020

जरिये डॉ. कीर्ति शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक निवाई कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल निवासी शिवाजी कॉलोनी गली नं.6 निवाई टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (खाली) 1 व्यवसायिक (खाली) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– श्री कैलाश माली, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 30.01.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्राप्त लॉकडाऊन के उल्लघंन की शिकायत पर उनके निर्देशानुसार प्रर्वतन निरीक्षक दिनांक 20.04.2020 को 08:07 pm पर बहमराह पटवारी निवाई एंव पटवारी मुण्डिया मौके पर पहुचे। श्री सत्यनारायण अग्रवाल शिवाजी कॉलोनी गली न. 6, निवाई में घर के बाहर किराना की दुकान चलाता है तथा कोविड–19 के लॉकडाऊन के नियमों की अनुपालना के विरूद्ध रात 8:00 बजकर 07 मिनट पर दुकान का खुली होना पाया गया। वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर दो खाली एक घरेलु (BPC कम्पनी) एवं एक व्यवसायिक (BP कम्पनी) एवं दो पेट्रोमैक्स रेग्युलेटर पाया गया। दोनो सिलेण्डर प्रथम सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर का S-R No 637132 खाली पाया गया, जिसका वजन 15.8 kg तथा द्वितीय सिलेण्डर का SR No 637132 वजन 19.4 kg पाया गया। मौके पर दोनों पेट्रोमैक्स के रेग्युलेटर भी पाए गए। व्यवसायी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लघंन पाए जाने

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पर उक्त गैस सिलेण्डरो एवं रेगूलेटर (पेट्रो गैस) को जब्त किया गया। जब्त किए गए दोनो गैस सिलेण्डरो (खाली) एवं पेट्रोकमैक्स रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्राप्त लॉकडाऊन के उल्लघंन की शिकायत पर उनके निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.04.2020 को 08:07 pm पर बहमराह पटवारी निवाई एवं पटवारी मुण्डिया मौके पर पहुचे। श्री सत्यनारायण अग्रवाल शिवाजी कॉलोनी गली न. 6, निवाई में घर के बाहर किराना की दुकान चलाता है तथा कोविड–19 के लॉकडाऊन के नियमों की अनुपालना के विरूद्व रात 8:00 बजकर 07 मिनट पर दुकान का खुली होना पाया गया। वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर दो खाली एक घरेलु (BPC कम्पनी) एवं एक व्यावसायिक (BP कम्पनी) एवं दो पेट्रोमैक्स रेग्युलेटर पाया गया। वक्त निरीक्षण दोनो सिलेण्डर प्रथम सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर का S-R No 637132 खाली पाया गया जिसका वजन 15.8 kg तथा द्वितीय सिलेण्डर का SR No 637132 वजन 19.4 kg पाया गया। मौके पर दोनों पेट्रोमैक्स के रेग्युलेटर भी पाए गए। व्यवसायी द्वारा वक्त निरीक्षण गैस की अवैध रिफिलिंग करना नही पाया गया,परन्तु उक्त सिलेण्डरो के भण्डारण बाबत आवश्यक अनुज्ञापत्र/दस्तावेज मॉगे जाने पर मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही सन्तोषजनक जवाब दिया गया। इस कारण द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लघंन पाए जाने पर उक्त गैस सिलेण्डरो एंव रेगूलेटर (पेट्रो गैस) को जब्त किया गया। जब्त सामान को श्री हेमराज कुमावत कार्मिक प्रतीक गैस एजेन्सी, निवाई को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण कर द्रविकृण पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और विवरण का विनियम) आदेश 2000 का उल्लघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्त किए गए दोनो गैस सिलेण्डरो (खाली) एवं पेट्रोकमैक्स रेग्युलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अभिभाषक अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 20.04.2020 के

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अनुसार श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल निवासी शिवाजी कॉलोनी गली नं.6 निवाई टोंक की दुकान का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा वक्त निरीक्षण गैस की अवैध रिफिलिंग करना नही पाया गया,परन्तु उक्त सिलेण्डरो के भण्डारण बाबत आवश्यक अनुज्ञापत्र/दस्तावेज माँगे जाने पर मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही सन्तोषजनक जवाब दिया गया। इस कारण उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर S-R No 637132 खाली,जिसका वजन 15.8 kg तथा द्वितीय सिलेण्डर का SR No 637132 वजन 19.4 kg एंवं पेट्रोमैक्स मय रेग्युलेटर मौके पर जब्त किया गया।

फर्द मौका/जप्ती पर सत्यनारायण,जितेन्द्र व विजय के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी हेमराज कुमावत के हस्ताक्षर है। प्रतीक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री हेमराज कुमावत को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)